निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
15 सी कालीदास मार्ग हाथीबड़कला देहरादून
दूरभाष–0135–2743773, 2741481

पत्र संख्या–2001/सै.क.–2/निविदा समिति/ दि0 10 जून 2024

सार्वजनिक निविदा आमंत्रण सूचना

1. वर्ष 2024में 26 जुलाई 2024 शौर्य दिवस तथा 16 दिसम्बर "विजय दिवस" के अवसर पर गॉधी पार्क/शौर्य स्थल(सैन्य धाम) देहरादून में समारोह हेतु टैन्ट, सजावट, भोजन व वाहनों आदि की व्यवस्था हेतु इच्छुक निविदादाताओं से 01 जुलाई 2024 को 11 बजे पूर्वाह्न तक सील बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. निविदा हेतु नियम/शर्तें एवं प्रारूप निदेशालय की वैबसाइट https://sainikkalyan.org/ पर उपलब्ध है।

निदेशक
सैनिक कल्याण देहरादून

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
15 सी कालीदास मार्ग हाथीबड़कला देहरादून
दूरभाष–0135–2743773, 2741481

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास दि० उत्तराखण्ड

निविदा सूचना

दिनांक 11 जून 2024 के समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा सूचना की नियम एवं शर्ते

निदेशालय सैनिक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा वर्ष 2024 में 26 जुलाई को शौर्य दिवस तथा 16 दिसम्बर को विजय दिवस समारोह के अवसर पर गॉधी पार्क/शौर्य स्थल (सैन्य धाम) में माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि समारोह हेतु निविदा की नियम व शर्तें निम्नवत् है :–

1. यह कि निदेशालय सैनिक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा वर्ष 2024 में 26 जुलाई को शौर्य दिवस तथा 16 दिसम्बर को विजय दिवस समारोह के अवसर पर गॉधी पार्क/ शौर्य स्थल(सैन्य धाम) में माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि समारोह में लगभग 1200 आगन्तुकों हेतु टेंट, सजावट, भोजन तथा वाहन की व्यवस्था की जानी है।

2. यह कि उक्त कार्यक्रम हेतु टेंट, सजावट, भोजन तथा वाहन आदि की व्यवस्था हेतु इच्छुक निविदादाताओं से 01 जुलाई 2024 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक सील बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन शाम 3.00 बजे निदेशालय में गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। इच्छुक निविदादाता स्वयं अथवा उसका एक प्रतिनिधि निविदा खुलने के समय उपस्थित हो सकते है ।

3. यह कि निविदायें रजिस्टर्ड डाक/कोरियर/दस्ती रूप में दिनांक 01 जुलाई 2024 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक इस निदेशालय में रखे सील बन्द बाक्स में डाली जा सकती हैं उक्त समय के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

4. यह कि निविदा, निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। अपूर्ण एवं अस्पष्ट प्रपत्र तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न न होने पर निविदा अमान्य होगी।

5. यह कि वित्तिय निविदा तथा तकनीकी निविदा दो अलग–अलग सील बन्द लिफाफों में होनी चाहिए। लिफाफे के ऊपर वित्तिय निविदा/तकनीकी निविदा, फर्म का नाम तथा किस प्रायोजन हेतु (टैन्ट/खाने/वाहनों) निविदा की गई है को मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिये।

6. यह कि निविदादाता के पास कम से कम 1000 व्यक्तियों के लिए भोजन उपलब्ध कराने हेतु किसी सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/शैक्षणिक संस्थानों/प्रतिष्ठित निजी शैक्षणिक संस्थानों का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।

7. यह कि निर्धारित निविदा प्रपत्र के साथ रू0 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) की धरोहर धनराशि (Earnest Money) का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट निदेशालय सैनिक कल्याण, देहरादून के नाम पर देय् होगा, जो कि किसी भी राष्ट्रीयकृत या शेडयूल्ड बैंक देहरादून के द्वारा देय् हो को निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

....

हस्ताक्षर निविदादाता

2/–

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास दि० उत्तराखण्ड

8. यह कि बिना धरोहर राशि (Earnest Money) के निविदा फार्म स्वतः अवैध माना जायेगा।

9. यह कि निविदादाताओं द्वारा निविदा फार्म एवं उसके साथ संलग्न नियम व शर्तों के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

10. यह कि निविदा के साथ फार्म का व्यापार कर पंजीकरण प्रमाण पत्र/जीएसटी न0/आयकर विभाग का पैन न0 संलग्न करना आवश्यक हैं।

11. यह कि स्वीकृत निविदादाता का किसी भी संस्था में काली सूची में नाम दर्ज न होने का नोटरी द्वारा सत्यापित ₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. केवल तकनीकी रूप से योग्य निविदादाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। वित्तीय निविदा का प्रारुप अनुलग्नक–II में संलग्न हैं।

13. यह कि स्वीकृत निविदादाता को अपने व्यय पर कार्य करना होगा। कार्यपूर्ण होने के बाद बीजक दो प्रतियों में संलग्न करना अनिवार्य है। बजट उपलब्ध होने पर ही बिलों का भुगतान किया जायेगा, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा। उक्त भुगतान के लिए फर्म का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना चाहिये । उपरोक्त बीजकों पर नियमानुसार आयकर तथा जीएसटी की कटौती की जायेगी जिस पर निविदादाता को कोई आपत्ति नही होगी।

14. यह कि कार्यक्रम का स्थान एवं प्रारूप उच्च स्तर के अनुमोदन के उपरान्त निर्धारित किया जाता है। अतः स्थान व प्रारूप में परिवर्तन किया जा सकता है।

15. यह कि चयनित निविदाकर्ता के मामले में, सफल निविदादाता द्वारा जमा की गई बयाना राशि को जमानत राशि में परिवर्तित किया जाएगा, जो निविदा की वैधता के दौरान बिना ब्याज के निदेशालय के पास रहेगी। शर्तों के उल्लंघन तथा कार्य सन्तोषजनक न होने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। असफल निविदादाताओं को उनके बैंक ड्राफ्ट निविदा तय होने के पश्चात 15 दिनों के अन्दर वापस लौटा दिया जायेंगे।

16. यह कि निविदादाता के द्वारा लगाये गये श्रमिको के द्वारा कार्यक्रम स्थल तथा विभाग की किसी भी सम्पत्ति को क्षति पहुचाये जाने की स्थिति में उसे ठीक करने का व्यय निविदादाता को वहन करना होगा । और यदि निविदादाता के द्वारा उपरोक्त व्यय का वहन नही किया जाता है तो निविदादाता के द्वारा जमा की गयी जमानत राशि से क्षतिपूर्ति की धनराशि समायोजित की जायेगी । इस पर निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

17. यह कि निविदादाता द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित आयु के अनुसार श्रमिकों/कार्मिकों को कार्य पर रखा जायेगा। कानूनों का उल्लंघन होने की दशा में उसका पूरा उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

....
हस्ताक्षर निविदादाता

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड दि०

18. यह कि निविदादाता कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करेगा।

19. यह कि निविदा का मूल्यांकन कुल लागत के आधार पर किया जाएगा। प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए व्यक्तिगत वस्तु की दर पर विचार नहीं किया जाएगा।

20. यह कि दरें प्रति इकाई में दी गयी हैं व्यक्ति तथा सामग्री की संख्या घट–बढ़ सकती है।

21. उद्धृत दरें (quoted rate) निविदा खुलने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगे।

22. यह कि बिना कारण बताये निविदा की कार्यवाही स्थगित या निरस्त करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा ।

23. भोजन को साफ बर्तनों में पकाया और परोसा जायेगा और इस संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही की अपेक्षा नही की जायेगी । बर्तनों को हर समय साफ–सुथरा रखा जायेगा। कोई भी भोजन परोसने से पहले उन्हें गर्म पानी से साफ किया जाना अपेक्षित है।

24. यह कि किसी भी प्रकार के विवाद पर समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

25. यह कि आग, चोरी, या अन्य मदों में हुई किसी भी क्षति के लिए निदेशालय, सैनिक कल्याण जिम्मेदार नहीं होगा।

26. यह कि निविदादाता निर्धारित समय पर टेंट, भोजन तथा वाहन आदि उपलब्ध कराएगा।

27. यह कि टेंटेज और अन्य सामग्री उच्च गुणवत्ता तथा अच्छी/नई स्थिति में होनी चाहिए।

28. यह कि निविदादाता द्वारा समारोह से पहले कार्यक्रम स्थल पर अतिरिक्त सामग्री/उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ताकि सामग्री की कमी के कारण समारोह के दौरान किसी भी अनापेक्षित स्थिति से बचा जा सके।

29. यह कि निविदादाता द्वारा आयोजन स्थल से कचरे को अपने खर्च पर हटाना सुनिश्चित करना होगा।

30. यह कि विभाग द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/सदस्य भोजन आदि की तैयारी का निरीक्षण कर सकते हैं, जिस पर निविदादाता को काई आपत्ति नही होगी।

31. यह कि निविदादाता द्वारा कार्यक्रम प्रारम्भ होने से एक दिन पूर्व जिलाधिकारी कार्यालय/लोक निर्माण विभाग अथवा सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगे कि विशिष्ट अतिथियों हेतु बनाया गया मंच कम से कम 50 व्यक्तियों हेतु सक्षम व सुरक्षित है।

....

हस्ताक्षर निविदादाता

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
दि०
उत्तराखण्ड

32. यह कि एजेंसी/ठेकेदार द्वारा कार्यक्रम स्थल की सुन्दरता सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता तथा स्वच्छ सामग्री/फिक्चर स्थापित करना सुनिश्चित करना होगा।

33. यह कि निविदा में दी गई दरें सभी वैधानिक करों, शुल्कों को छोड़कर होनी चाहिए लेकिन इन दरों में ढुलाई और श्रम सम्मिलित होना चाहिये।

34. यह कि यदि आपूर्ति की गई सामग्री/सेवाएं मानकों के अनुरुप नही पाई जाती हैं, तो सफल बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा तत्काल उसे अपनी लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर मानक सामग्री के साथ बदलना होगा।

35. ऐसे व्यक्ति और एजेंसियों की किसी भी बोली/निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा यदि ऐसा पाया गया कि :–

(क) जिनके द्वारा विभागों की पूर्व परियोजनाओं का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जिनको किसी राज्य सरकार के संगठन/पीएसयू द्वारा काली सूची में डाला या प्रतिबंधित किया गया हो।

36. यह कि सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

37. यह कि निविदादाता के द्वारा दिये कार्य आदेश एवं स्वीकृत दर के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा उसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई अन्य भुगतान नही किया जायेगा ।

38. यह कि अनुबंध ऐसे वाणिज्यिक सौदों/प्रसंस्करण के संबंध में समय–समय पर भारत के अधिनियमित लागू कानूनों द्वारा शासित होगा। वर्तमान अनुबंध से संबंधित सारे विवाद का क्षेत्राधिकार देहरादून होगा।

39. यह कि समारोह में किसी भी प्रकार के प्रतिबन्धित प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग नही किया जायेगा।

40. यह कि निविदादाता के पास वैध खाद्य/खानपान या कोई आवश्यक लाइसेंस या अनुमति होनी चाहिए। निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व प्राप्त किया गया FSSAI प्रमाणपत्र इस तथ्य को स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि बोलीदाता के पास कम से कम एक वर्ष का अनुभव है।

41. यह है कि यदि अनुबन्ध में अतिरिक्त नियम एंव शर्तों को जोडा या कम किया जाता है तो निविदादाता को इस पर कोई आपत्ति नही होगी ।

42. यह कि उपरोक्त सभी शर्तों में से निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में निविदादाता का अनुबन्ध निरस्त किया जायेगा। इस पर निविदादाता को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होगी ।

....
हस्ताक्षर निविदादाता

5/–

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
दि०
उत्तराखण्ड

43. यह कि शेष शर्तें अधिप्राप्ति नियमावली –2008 एवं 2017 के अनुसार लागू रहेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर :———————

पूरा नाम ————————————

पिता का नाम ————————————

ग्राम ——————पो0——————

तहसील ———जनपद ——————

पिन0 ——————दूरभाष —————

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें मेरे द्वारा भली भॉति पढ ली गई हैं और मुझे स्वीकार हैं।

....

निविदा जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांकः 2024

....

हस्ताक्षर निविदादाता
दिनांक : 2024

****

अनुलग्नक—I

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास द्वारा वर्ष 2024 में 26 जुलाई 2024 को शौर्य दिवस तथा 16 दिसम्बर 2022 को विजय दिवस समारोह हेतु निविदा आवेदन पत्र

1. फर्म का नाम (हिन्दी में) : ....

(अग्रेजी में) : ....

2. फर्म का पता : ....

....

....

3. फर्म का जीएसटी नम्बर : ....

4. दूरभाष न0 : ....

5. धरोहर धनराशि का विवरण :—

धनराशि : ....

बैक ड्राफ्ट संख्याः ....

बैक का नामः ....

6. मै,..मै0..

निवासी..पो0आ0..तहसील...................

जिला...राज्य.......................का निवासी हूँ। मैं निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास द्वारा वर्ष 2024 में शौर्य दिवस तथा विजय दिवस समारोह के अवसर पर गांधी पार्क / शौर्य स्थल(सैन्य धाम) देहरादून में मल्यापर्ण एवं श्रद्धांजलि समारोह तथा भोजन की व्यवस्था हेतु संलग्न दरों में निविदा शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

7. निविदा के पूरे नियम एवं शर्ते मेरे द्वारा भली भॉति पढ़ ली गई है तथा मुझे सभी नियम और शर्ते मंजूर है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : फार्म की मोहर

संलग्नों की सूची :—

1. वित्तीय निविदा
2. नियम एवं शर्ते।
3. बैक ड्राफ्ट।
4. आधार कार्ड व पैन कार्ड की छायाप्रति।
5. किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज न होने का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र।

वित्तीय निविदा

अनुलग्नक–II

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड

फर्म का नाम : ....

वर्ष 2024 में 26 जुलाई को शौर्य दिवस तथा 16 दिसम्बर को विजय दिवस समारोह के अवसर पर गांधी पार्क/ शौर्य स्थल(सैन्य धाम), देहरादून में माल्यापर्ण एवं श्रद्धांजलि समारोह हेतु टेंट, सजावट, भोजन तथा वाहन की व्यवस्था हेतु निम्नवत दरें प्रस्तावित हैः–

1. **टेंट तथा सजावट**

क्रम सं	अनुमानित कार्य का विवरण	अनुमानित मात्रा	प्रति इकाई दर	कुल मूल्य
1.	मंच 04 फिट उंचा साईज	1152 वर्ग फिट		
2.	मंच 01 फिट उंचा साईज	1152 वर्ग फिट		
3.	वाटर पूफ पण्डाल	35000 वर्ग फिट		
4.	पाईप पण्डाल	35000 वर्ग फिट		
5.	मंच हेतु रेड तथा ग्रीन नई कारपेट	35000 वर्ग फिट		
6.	मंच के सम्मुख सफेद कवरयुक्त सोफा	30		
7.	टेबल कवर सहित	80		
8.	मंच के सम्मुख डनलप सफेद कवरयुक्त कुर्सियां	1000		
9.	मंच पर फूलों की सजावट (रनिंग फीट)	275		
10.	मंच संचालन हेतु उच्च कोटी का साउड सिस्टम जिसमें कोडलेस, वायर माईक तथा 62 केवीए जनरेटर सहित	01		
11.	हॉट केस के साथ क्रोकरी	1000 व्यक्तियों हेतु		
12.	वेटर	30		
13.	दर्शक दीर्घा में दो एलईडी पैनल (8X8)	**02**		
14.	माल्यापर्ण हेतु प्रति सामान्य पुष्प चक्र	20		
15.	विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा माल्यापर्ण हेतु पुष्प चक्र	10		
16.	गेंदें की माला	200		
17.	हरे पत्तें की माला	100		
18.	सम्मानित होने वाले पूर्व सैनिकों/आश्रितों हेतु गुलाब का पुष्प	50		

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड

क्रम सं	अनुमानित कार्य का विवरण	अनुमानित मात्रा	प्रति इकाई दर	कुल मूल्य
19.	कार्यक्रम की विडियों रिकोर्डिग तथा फोटो हेतु छायाकार	01		
20.	विशिष्ट व्यक्तियों हेतु प्रति पुष्प गुच्छ	05		
21.	विशिष्ट अतिथि हेतु सेफ हाउस (सैफ हाउस में एक कक्ष, एक बाथरुम, सोफा, टेबल, पानी की व्यवस्था)	01		
22.	जन समान्य हेतु अस्थाई शौचालय	01		
23.	भूमि को समतल करने हेतु लकड़ी के पैनल	5000 वर्ग फिट		
24.	कूलर/पैडस्टल पंखे	10		

2. **भोजन**

क्रमसं	सामाग्री का विवरण	प्रति थाली दर	1200 व्यक्तियों हेतु कुल दर
1.	मटर पनीर		
2.	छोले		
3.	बूदी रायता		
4.	मिक्स वेज बिरयानी/पुलाव/जीरा राईस		
5.	पूरी, नॉन		
6.	गुलाब जामुन/गाजर का हलवा		
7.	अचार, पापड तथा सलाद		
8.	पानी		

3. **नाश्ता**

सामाग्री का विवरण	प्रति इकाई दर	200 व्यक्तियों हेतु कुल दर
चाय, बर्गर, जूस, केला, लडडू, तथा पानी प्रति व्यक्ति।		

4. **फ्लैक्स हेतु**

अनुमानित कार्य का विवरण	प्रति इकाई दर	कुल धनराशि
मुख्य गेट के दोनो तरफ 10X20 फीट के फ्लैक्स		
मंच पर 10X30 फीट के फ्लैक्स।		

5. **किराये हेतु बस/टैक्सी**

स्थल का विवरण	प्रति बस	प्रति टैक्सी
रायवाला से गॉधी पार्क और वापस		
डोईवाला से गॉधी पार्क और वापस		
मियावाला से गॉधी पार्क और वापस		
मथुरोंवाला से गॉधी पार्क और वापस		
विकास नगर से गॉधी पार्क और वापस		
दुदली से गॉधी पार्क और वापस		
कारगीचौक से गॉधी पार्क और वापस		
बालावाला से गॉधी पार्क और वापस		
लोकल एरिया से गॉधी पार्क और वापस		

हस्ताक्षर निविदादाता